कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
दुर्गावती बाँध प्रमण्डल–1, भीतरीबाँध

Email :eeodam1@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)-01/2026-27

पत्रांक– भाड़े पर वाहन /01/2026– ....,भीतरीबाँध, दिनांक–........................../2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध के अन्तर्गत दुर्गावती बाँध अवर प्रमण्डल–1, भीतरीबाँध अधीन योजनाओं के अनुश्रवण, निरीक्षण, सम्पर्क कार्य उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर, दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध के अंतर्गत 01(एक) अदद् बोलेरो निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक–16.05.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक–29.05.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध के कार्यालय में।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक–29.05.2026 को 3:30 बजे अपराह्न तक।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरबाँध। मोबाईल नं0–7463889417

तकनीकी निविदा शर्त

1. **वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।**
2. **वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी0 एस0 टी0 पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।**
3. **निविदादातों को वित्तिय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।**

क्रम संख्या	**वाहन का प्रकार**	**ईंधन रहित मासिक भाड़ा**

नियम एवं शर्ते

1. एकरारनामा के अनुसार वाहन 1 जून, 2026 से 31 मई, 2027 तक रखा जाएगा।
2. वाहन मॉडल 2019 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलबध कराना एवं इसकी दैनिक साफ–सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
4. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोडकर) की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
8. वाहन की उपयोग के विरूद्ध मासिक किराया ईधन रहित देय होगा।
9. वाहन का उपयोग के लिए लोगबुक का संधारण वाहन चालक की जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंध आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईधन रहित भुगतान किया जायेगा।

10. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय, सासाराम, रोहतास जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यक नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।

11. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।

12. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्री समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।

13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगी।

14. वाहन उपयोग हेतु 24 धंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन भाड़े का भुगतान दो गुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।

15. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।

17. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।

18. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरूद्ध निर्णित मासिक दर से ईधन रहित भुगतान होगा।

19. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये ईधन अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।

20. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं वहाँ रह भी सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 20 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्युनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(ई0 अभिषेक कुमार)

कार्यपालक अभियंता

दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध।

पत्रांक–449 / भीतरीबाँध दिनांक–16/05/2026

प्रतिलिपि :–सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

A. Kumar 16/05/26

कार्यपालक अभियंता

दुर्गावती बाँध प्रमंडल–1, भीतरीबाँध।

16/05/26